संख्या 528/चौवालिस-2-14/च.स./87(टी0सी)

प्रेषक,

श्री बृजेन्द्र सहाय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
राज्य विद्युत परिषद्,
शक्ति भवन, लखनऊ।

लखनऊ : दिनांक 28 फरवरी, 1995

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2

शासन की जानकारी में यह बात आई है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग से निर्गत शासनादेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है बल्कि यह प्रश्न उठा दिया जाता है कि शासन के आदेश राज्य विद्युत परिषद् पर लागू नहीं होते। इस विषय पर शासन द्वारा विधिक परामर्श प्राप्त किया गया है। शासन को प्राप्त विधिक परामर्श के अनुसार इलैक्ट्रीसिटी सप्लाई ऐक्ट, 1948 की धारा 78 ए के अन्तर्गत नीति विषयक मामलों में राज्य सरकार विद्युत परिषद् को निर्देश दे सकती है और ऐसे आदेशों को राज्य विद्युत परिषद् मानने के लिए बाध्य है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि इलैक्ट्रीसिटी सप्लाई ऐक्ट की धारा 78 ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या 175/44-2-14/च.स./87 दिनांक 6 जनवरी, 1989 के अनुक्रम में शासन द्वारा परिषद् को यह निर्देश दिये जाते हैं कि संलग्न शासनादेश संख्या 1948/44-2-14/च.स./87-92 दिनांक 29 अक्टूबर, 1992 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए परिषद् की स्थायी स्ट्रैन्थ का प्रस्ताव शासन को शीघ्र भेजा जाय। जब तक स्थायी स्टाफ स्ट्रैन्थ शासन द्वारा अनुमोदित नहीं हो जाती। तब तक परिषद् द्वारा शीर्ष पदों को छोड़कर किसी पद को भरा नहीं जायेगा और न ही किसी अतिरिक्त पद का सृजन किया जायेगा।

संलग्नक-यथोपरि

भवदीय,
बृजेन्द्र सहाय,
मुख्य सचिव।

संख्या 528(1)/44-2-14/च.स./87 टी0सी0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ ।
2- ऊर्जा अनुभाग-2

आज्ञा से,
आर0 एस0 निगम,
विशेष सचिव।